चन्द्र सिह चिराल
प्रवक्ता अर्थशास्त्र
(के0एन0यू0रा0मॉ0इ0का0 पिथौरागढ़)

पाठ–06
भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां

निर्धनता का अर्थ–साधारण शब्दों में निर्धनता का अर्थ व्यक्ति के रहन सहन के स्तर से लगाया जाता हैं जिसे हम दूसरा नाम गरीबी से लगाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं उसे तमाम प्रकार के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता हैं साथ ही व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा को पूरा करने में असमर्थ रहता हैं। उसे निर्धनता के रूप से जाना जाता है।
दूसरे शब्दों में निर्धनता से तात्पर्य उस अवस्था से हैं जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ रहता हैं।

निर्धनों की पहचान कैसे होती है– निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता हैं। गरीबी रेखा अलग–अलग देशों से अलग–अलग होती हैं उदाहरण के लिए – अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत की तुलना में काफी ऊपर है।
सर्वप्रथम योजना आयोग ने सितम्बर 1989 में प्रो0 डी0वी0 लकड़वाला की अध्यक्षता में एक फार्मूला दिया, इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहि। वर्ष 1999–2000 में निर्धनता–रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 328 स0 प्रतिव्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया, 2011–12 में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु न्यूनतम् उपभोग व्यय के रूप में दिया जिसमें रंगराजन समिति शहरी क्षेत्र 1407रू0 प्रति ग्रामीण क्षेत्र में 972 प्रति माह या 32स0 प्रतिदिन प्रतिमाह या 47रू0 प्रतिदिन तथा तेंदुलकर समिति शहरी क्षेत्र 1000रू0 प्रतिमाह तथा 33रू0 प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816रू0 प्रतिमाह या 27रू0 प्रतिदिन परन्तु निर्धनता का माप दो रूप में मापा जा सकता है–
निरक्षेप निर्धनता– निरक्षेप निर्धनता से अभिप्राय है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा, मकान, शिक्षा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने की असमर्थता है। निरपेक्ष निर्धनता देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर प्राप्त नहीं कर पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है।

सापेक्ष निर्धनता– सापेक्ष निर्धनता आय में पायी जाने वाली असमानताओं को प्रकट करती है, सापेक्ष निर्धनता अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है, दूसरे शब्दों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों, की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता का बोध कराता है।

रैगनर नर्कसे के विचार – रैगनर नर्कसे सम्भवतया पहला अर्थशास्त्री था जिसने निर्धनता के दुश्चक्र को सही ढंग से स्पश्ट करने का प्रयास किया है। उन्होने इस शब्द का प्रयोग अल्पविकसित राष्ट्रों के संदर्भ में उनकी एक प्रमुख विशेशता के रूप में विकसित किया है उनका यह प्रचलित कथन है कि "एक देश इसलिए निर्धन है, क्योंकि वह निर्धन है।" वास्तव में निर्धनता के दुश्चक्र पर ही आधारित है। नर्कसे महोदय ने निर्धनता के दुश्चक्र से अभिप्राय इस प्रकार लगाया गया है।
"निर्धनता के दुश्चक्र का अर्थ है, नक्षत्र–मण्डल के समान वृताकार ढंग से घूमती हुई ऐसी शक्तियों से है, जो एक दूसरे को इस प्रकार क्रिया–प्रतिक्रिया करती है कि एक निर्धन देश निर्धनता की अवस्था में ही बना रहता है।" उदाहरण के लिए एक निर्धन व्यक्ति को खाने के लिए प्रयाप्त खाद्य नहीं मिल पाता, खाद्य कमी

के कारण वह निर्बल हो जाता है, शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है उत्पादन भी कम हो जाता है।
यह नक्षत्र–मण्डल के समान वृताकार ढंग से घूमती है

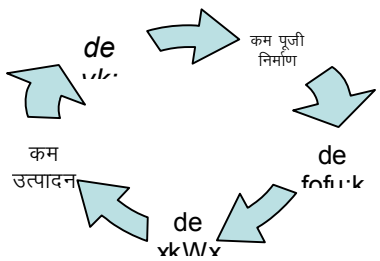

चित्र न0–1

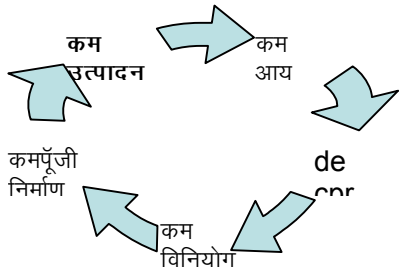

चित्र न0–2

आय के कम होने से पूरा चक्र हो जाता है।
स्रोत – भारतीय अर्थव्यवस्था लेखक– एस. पी .सिंह
भारत में निर्धनता एवं निर्धनों की संख्या निर्धनता अनुपात

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
तेन्दुलकर समिति (2011–12)	25.7	13.7
रंगराजन समिति (2011–12)	30.9	26.3

भारत में निर्धनता के कारण– भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भॉति भारतीय अर्थव्यवस्था भी गरीबी के दुश्चक्र में फॅसी है भारत में निर्धनता के मुख्य कारण निम्नलिखित है–

1.आर्थिक कारण–

1–कृषि पर अत्यधिक निर्भरता–भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने का एक प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। कृषि क्षेत्र पर बढ़ता जनसंख्या दबाव, जोतों का उत्तरोत्तर छोटी होना सिंचाई सुविधाओं का अभाव के कारण कृषि क्षेत्र के उत्पादन में कमी होना है।

2. सीमित औद्योगिक करण– भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण औद्योगिक पिछड़ापन है और यहा आधुनिक ढंग के आधारभूत बढ़े उद्योगों का अभाव है।

3.पूँजी निर्माण की नीची दर– भारत में गरीबी के दुश्चक्र की क्रियाशीलता के कारण कम उत्पादकता, कम आय, कम बचत, कम निवेश का संचय क्रम चलता रहता है जिसका परिणाम पूँजी निर्माण की धीमी दर के रूप में सामने आता है।

4. आधारित संरचना का अभाव– भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संरचना अर्थात यातायात (रेलवे,सड़क,जलमार्ग,विद्युत ऊर्जा) का प्रयाप्त विकास नहीं हुआ है।

5. योग्य साहसी का अभाव–आर्थिक विकास में साहसी की निर्णायक एवं सक्रिय भूमिका है साहसी अपने तकनीकी ज्ञान, दृष्टिकोण एवं अनुभव के आधार पर उत्पादकता को बढ़ाता है परन्तु भारत में इसकी कमी है।

6. जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि– भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है परन्तु आय स्तर में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है।

7. राश्ट्रीय आय का असमान वितरण– भारत में आय का वितरण में असमानता है। नियोजन काल के दौरान कुछ औद्योगिक घरानों के हाथ में आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीकरण देखने को मिला छोटे उद्यमियों की उपेक्षा की गयी जिससे धनी और धनी होता गया और निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता गया।

2. सामाजिक कारण– भारत में अनेक ऐसी सामाजिक रूढ़ियॉ और परिस्थितियॉ उपस्थित है जिसके कारण विकास कार्यो में बाधा उत्पन्न हो जाती है–

1. लोग जातिवाद, धर्मवाद और पुरानी परम्परागत रूढियों में इतने बधे है कि वे नये परिस्थितियों को नहीं अपनाना चाहते।
2. भारत में जन साधारण का भाग्यवादी दृष्टिकोण है जो देश की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
3. भारत में जातिवाद एवं संयुक्त परिवार प्रणाली भी आर्थिक विकास में बाधक है।
4. भारत में लोगों की अशिक्षा व अज्ञानता विकास में बाधक है।
5. देश में बाल विवाह का अभी भी प्रचलन है जिसके कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है।

3. राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण–भारत दीर्घकाल तक विदेशी शासकों के हाथों में रहा है। जिसके कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नही हो सका और प्रतिव्यक्ति आय कम रही जैसे ब्रिटिश शासकों की नीति स्वार्थपूर्ण थी, भारत में कच्चा माल खरीदना और ब्रिटेन के निर्मित माल को भारत में बेचना जिससे भारत के उद्योगों का विकास नहीं हो सका। साथ ही प्रशासनिक क्षमता भी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। भारत में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घूसखोरी आदि विविध पहलूओं ने देश के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल नहीं होने दिया है।

निर्धनता उन्मूलन के सरकारी प्रयास– भारतीय नियोजन का आरम्भ से ही एक दीर्घकालीन उद्देश्य रहा है– रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए देश की बहुआयामी रणनीति अपनोई गई जो इस प्रकार है–

1. आर्थिक विकास दर में वृद्धि के प्रयास।
2. धन एवं आय के वितरण में समानता स्थापित करने के प्रयास।
3. जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास।
4. गरीब वर्ग को आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के प्रयास।
5. भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करके छोटे व सीमान्त किसानों को भू–स्वामित्व देने के प्रयास।
6. क्षेत्रीय विकास कार्यो को प्रोत्साहन देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रयास।
7. न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण।
8. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनेक अधिनियम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिको को सुरक्षा देने के प्रयास।
9. शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करके गरीब वर्ग को शिक्षित बनाने के प्रयास।

गरीबी व बेरोजगारी निवारण के विशिष्ट कार्यक्रम– भारत में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के अनेक विशिश्ट कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये उसमें से वर्तमान में चल रहे निम्नांकित कार्यक्रम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है–

1.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन– ग्रमीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा 3 जून 2011 को की गई। इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित

कर उसके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदार करने की सरकार की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य वर्श 2024–25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार तब तक सम्पोशित करनो और सहायता देना है।

2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– ग्रामीण निर्धनता युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी यह एक कौशल विकास स्कीम है। 25 सितम्बर 2014 को घेषित यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है इस योजना वैसे 10 लाख गरीब ग्रामीण युवकों को लाभ देगी। जिन्हे सतत रोजगार देकर कुशलता के लिए तैयार करना।

3. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना– ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों जैसे पॉच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देने के उद्देश्य से यह योजना वर्श 2000–01 में शुरू की गयी जो निम्न है–

1.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
2.प्रधानमंत्री गामीण आवास योजना
3.प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना

4. राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन– स्वर्ण जयंती शहरीय रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी निर्धन लोगों को स्व–सहायता समूहों में संगठित करना, शहरीय गरीबों को रोजगार के लिए कौशन प्रशिक्षण देना, और सब्सिडी ब्याज दरों पर ऋण देकर स्व– रोजगार चलाने के लिए सहायता करना।

5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम– वर्ष 1995 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्ध, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में रोजी–रोटी कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति के निधन की स्थिति के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

6. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम– स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए 15 अगस्त 2008 लागू की गई, इस योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग (केवीसी) तथा शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र (डाइस) द्वारा किया जाता है।

7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना– यह योजना अप्रैल 2015 में लागू की गई योजना के तहत देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुचाना है।

8. महात्मागॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम अथवा मनरेगा कार्यक्रम –महात्मागॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का शुभारम्भ 2 फरवरी 2006 को देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों का किया गया, बचे हुए अन्य जिलों में अर्थात सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से यह कार्यक्रम को लागू किया गया। "काम के बदले अनाज योजना" व सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया है। वर्तमान में यह योजना देश के 661 जिलों में 8856 विकास खण्डों की 257844 ग्राम पंचायतों में लागू है।

स्रोत – भारतीय अर्थव्यवस्था लेखक अश्विनी – महाजन

योजना के प्रमुख विशेषताऐ–

1. पात्रता– ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार के वयस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्श में एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
2. ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण एदस्यों के नाम, उम्र, लिंग एवं पता देकर पंजीकरण करवा सकते है।

3. काम के लिए आवेदन व बेरोजगारी भत्ता व रोजगार पाने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को काम के लिए लिखित आवेदन देना होता है, यदि पात्र आवेदक को कार्य की माँग के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता हो तो उसे रोजगार भत्ता दिया जाता है।
4. न्यूनतम मजदूरी– राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम 100 रूपये का भुगतान किया जाता है तथा योजना का 33 प्रतिशत लाभ महिलाओं को होगा।
5. राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013– राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अर्न्तगत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, इस अधिनियम/योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है–

1. यह योजना मूलतः 3 जुलाई 2013 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 2013 द्वारा जो 5 जुलाई 2013 से प्रभावित हुआ लागू की गयी।
2. हरियाणा तथा उत्तराखण्ड दो राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस योजना को 20 अगस्त 2013 को लागू करने वाले अग्रणी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र बने।
3. इस योजना के तहत अधिनियम की धारा10(1) के अर्न्तगत चिन्हित प्राथमिकता परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति व्यक्ति रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्यों की दुकान से मिलेगी, अन्त्योदय अन्न योजना के अर्न्तगत परिवार को 35 किग्रा खाद्यान्न मिलेग।
4. योजना के लिए खाद्यान्न केन्द्र सरकार उपलब्ध करायेगी।
5. योजना के अर्न्तगत खाद्यान्नों का निर्गम मल्य 3.00 रूपया प्रति किग्रा की दर से चावल 2.00 रूपया प्रति किग्रा की दर से गेहूँ तथा 1.00 रूपया प्रति किग्रा की दर से मोटा अनाज उपलब्ध होगा।

   6 माह से 6 वर्ष तक की आयू वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आगनबाड़ी के स्तर से पका पौष्टिक भोजन निशुल्क मिलेगा। प्रसवोत्तर महिलाओं को 6000 मातृत्व लाभ किस्तों में मिलेगा।

मूल्यांकन– आज भारत में एन.एस.एस.ओ. की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 26.7 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार योजनाओं को तो लागू करती है परन्तु उसका क्रियान्वयन धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग दोजून की रोटी जुटाने में असमर्थ रहते हैं।

स्रोत– प्रतियोगिता दर्पण

प्र0–निर्धनता का क्या अर्थ है।

प्र0–निर्धनता रेखा किसे कहते है।

प्र0–सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता में अन्तर बताईये।

प्र0–मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य बताईये।

प्र0–भारत में गरीबी की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का उल्लेख कीजिए।